राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्तभवन,"ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

(दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांकः-प.4(ई)(1)(6)निप / भर्ती–2023 / (स्थापना) / अलेसे–III / 7871 दिनांकः– 24-09-2025

कार्यालय आदेश

निम्नाकिंत कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) को उनके आवेदन के आधार पर कॉलम 03 में अंकित पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:--

क्रम संख्या	नाम कनिष्ठ लेखाकर (श्री / श्रीमति / सुश्री)	नाम पाठ्यक्रम	आयोजक संस्था	वर्तमान कार्यालय
1.	2.	3.	4.	5.
1.	उम्मेद सिंह (रोल नं.–778656)	एम.ए. फाइनल (विषय–इतिहास) (स्वयंपाठी) वर्ष 2025	वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा।	उप निदेशक अभियोजन पाली

उक्त अध्ययन स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :–

1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
2 प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी।
3 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
4 अध्ययन जारी रखने की स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
5 अध्ययन जारी रखने से दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा / व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
सयुंक्त शासन सचिव

क्रमांकः-प.4(ई)(1)(6)निप / भर्ती–2023 / (स्थापना) / अलेसे–III / 7871 दिनांकः– 24-09-2025

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–</u>

1. उप निदेशक अभियोजन, पाली।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक **(एसीपी)** को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. उम्मेद सिंह, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं.--778656) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, पाली।

(सीमा कौशल)
सयुंक्त निदेशक (कार्मिक–II / III)